

वधियकों को धन वधियक घोषति करने की चुनौती पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई

प्रलिस के लयि:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [धन वधियक](#), भारत की समेकति नधि, वधियकों के प्रकार

मेन्स के लयि:

भारतीय संवधान, वशिषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान, न्यायकि समीक्षा

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) के नेतृत्व में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) की सात-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र द्वारा संसद में [धन वधियक](#) के रूप में महत्त्वपूर्ण संशोधनों को पारति करने के तरीके से संबंधति एक संदर्भ को प्राथमकिता देने के अनुरोध को संबोधति कयि।

धन वधियक के रूप में पारति चुनौतीपूर्ण संशोधन:

■ धन शोधन नविवरण अधनियम (PMLA) संशोधन:

- वर्ष 2015 के बाद से [धन शोधन नविवरण अधनियम \(PMLA\)](#) में कयि गए संशोधनों ने [प्रवर्तन नदिशालय](#) को व्यापक शक्तयिँ प्रदान कीं, जसिमें गरिफ्तारी करने और छापेमारी का अधकिार भी शामिल है।
 - प्राथमकि चति इन [संशोधनों को धन वधियक](#) के रूप में पारति करना है, जसिसे उनकी वैधता और संवैधानकिता पर सवाल उठ रहे हैं।
 - कानूनी वशिषजुज और याचकिाकर्त्ता सवाल करते हैं ककयिा इन महत्त्वपूर्ण परवितनों को संसद के दोनों सदनों से जुडी मानक वधियी प्रक्रयिा का पालन करना चाहयि था।

■ वतित अधनियम, 2017:

- [वतित अधनियम, 2017](#) को धन वधियक के रूप में वर्गीकृत एवं पारति कयिा गया, जसिसे इस वधियी प्रक्रयिा के उचति उपयोग के वषिय में चतिाएँ बढ गईं।
- आरोप है क अधनियम का उद्देश्य [राष्ट्रीय हरति न्यायाधकिरण और केंद्रीय प्रशासनकि न्यायाधकिरण](#) सहति 19 प्रमुख न्यायकि न्यायाधकिरणों में नयिकृतयिों में बदलाव करना है।
 - आरोप है क वर्ष 2017 अधनियम को धन वधियक के रूप में वर्गीकृत करना इन न्यायाधकिरणों पर कार्यकारी नयितरण बढाने को लेकर जानबूझकर कयिा गया एक प्रयास था।
- अधनियम के पारति होने के साथ-साथ ऐसे बदलाव भी हुए जनिसे इन प्रमुख न्यायकि नकिायों में कर्मचारयिों के लयि आवश्यक योग्यता और अनुभव को कम कर दयिा गया।

■ आधार अधनियम, 2016:

- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में सरकार के पक्ष में नरिणय सुनाया था और [आधार अधनियम को संवधान के अनुच्छेद 110 के तहत वैध धन वधियक](#) के रूप में मंजूरी दे दी थी।
 - सरकार ने तर्क दयिा था, चूँकि आधार के माध्यम से वतितरति सबसडि [भारत के समेकति कोष](#) से आती है, इसलयि कानून को वैधानकि तौर पर धन वधियक के रूप में वर्गीकृत कयिा गया जसिने कानूनी और कार्यवधि संबंधी प्रश्न उठाए।
 - धन वधियक [केवल लोकसभा के लयि होते हैं और राज्यसभा के प्रभाव को सीमति करते हैं।](#)
 - हाल ही में CJI ने अधकि व्यापक समीक्षा के लयि कहा।


वृहद पीठ (Larger Bench) के नहितारथ:

- PMLA, आधार अधनियम और ट्रबियूनल सुधारों की संवैधानकिता पर स्पष्टता।

- यह निर्धारित करना कि क्या इन कानूनों को सही तरीके से धन वधियक के रूप में वर्गीकृत किया गया था अथवा राज्यसभा की जाँच को रोकने के लिये इनका प्रयोग किया गया था।
- इस बात का समाधान करना कि क्या ये वर्गीकरण कानूनी रूप से सही थे या नगिरानी से बचने के लिये रणनीतिक चालें थीं।
- वृहद् पीठ के बीच बहस से इस बारे में अधिक जानकारी मलि सकती है कनियायपालकि धन वधियक के रूप में उपायों को नामति करने के संबंध में अध्कष के नरिणयों पर कसि हद तक जाँच कर सकती है।

धन वधियक:

- **परभाषा:**
 - धन वधियक एक वत्तितीय कानून है जसिमें वशिष रूप से राजस्व, कराधान, सरकारी व्यय और उधार से संबंधति प्रावधान शामिल हैं।
- **संवैधानकि आधार:**
 - **अनुच्छेद 110 (1)** कसिी वधियक को धन वधियक समझा जाता है यदविह अनुच्छेद 110 (1) (a) से (g) में नरिदषिट मामलों, वशिषकर कराधान, सरकार द्वारा उधार लेना और **भारत की संचति नधि** से धन के वनियोग, से संबंधति है।
 - अनुच्छेद 110(1)(g) के अनुसार "**अनुच्छेद 110(1)(a)(f) में नरिदषिट कसिी भी गतविधि से जुडा कोई भी मामला**" धन वधियक हो सकता है।
 - संवधान के अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, "यदकि कोई प्रश्न उठता है कि कोई वधियक धन वधियक है या नहीं" तो उस पर लोक सभा के अध्कष का नरिणय अंतमि होगा।
- **प्रक्रिया:**
 - धन वधियक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहयि कति राज्यसभा (उच्च सदन) में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
 - राज्य सभा कसिी धन वधियक पर केवल सफारिशें कर सकती है लेकिन उसमें संशोधन करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति उसके पास नहीं है।
 - राष्ट्रपति कसिी धन वधियक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है लेकिन उसे पुनर्वचिार के लयि वापस नहीं कर सकता।
 - इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।



विधेयकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधेयक

- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:
 - करारोपण
 - सरकारी व्यय
 - संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
 - भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग:
 - वित्त विधेयक (I) - उदाहरण. - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।
 - वित्त विधेयक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधेयकों के प्रकार

विशेषताएँ	साधारण विधेयक	धन विधेयक	वित्त विधेयक (I)	वित्त विधेयक (II)	संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद	107, 108	110	117 (1)	117 (3)	368
जिन सदन में पेश किया जा सकता है	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	केवल लोकसभा	केवल लोकसभा	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं)
जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है	मंत्री या निजी सदस्य	केवल मंत्री	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य
राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधेयक पेश करने के संदर्भ में)	आवश्यक नहीं	आवश्यक है	आवश्यक है	केवल विचार के लिये सिफारिश	आवश्यक नहीं
राज्यसभा द्वारा संशोधन/अस्वीकृति	किया जा सकता है	सिफारिश ही की जा सकती है (बाध्यकारी नहीं)	किया जा सकता है	किया जा सकता है	किया जा सकता है
गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं
राष्ट्रपति की भूमिका	अस्वीकार करना/स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस नहीं भेज सकता	अस्वीकार करना/स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता / वापस नहीं भेज सकता)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. धन विधेयक के संबंध में नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2018)

- किसी बलि (विधेयक) को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधरीपण, उन्मूलन, माफी,परविरत्तन या वनियिमन से संबंधित प्रावधान हों ।
- धन विधेयक में भारत की संचति नधि एवं भारत की आकस्मकिता नधि की अभरिक्षा से संबंधित उपबंध होते है ।
- धन विधेयक भारत की आकस्मकिता नधि से धन के वनियोजन से संबंधित होता है ।
- धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूत दिने के वनियिमन से संबंधित होता है ।

उत्तर: (C)

प्रश्न. यदि किसी धन विधियक में राज्य सभा द्वारा पर्याप्त संशोधन किया जाए तो क्या होगा ? (2013)

- (a) लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सफारशियों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए विधियक पर आगे बढ़ सकती है।
- (b) लोकसभा इस विधियक पर आगे विचार नहीं कर सकती।
- (c) लोकसभा इस विधियक को पुनर्विचार के लिये राज्यसभा में भेज सकती है।
- (d) राष्ट्रपति विधियक पारति करने के लिये संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

उत्तर: (A)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-to-hear-challenge-on-designation-of-bills-as-money-bills>

